श्री राजवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह —मेरा ... नम्बर—1, रेलवे स्टेशन ,श्रीगंगानगर ... प्रकरण सं0 27 सन् 2024

ऑन लाईन नं. GCMS 2024/58

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 27 / 2024

श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर।

बनाम

(FBO)

1. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, वेंडर केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर
2. आरती मीना, वेंडिग कोन्ट्रेक्टर, केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर
3. मै. गोल्डी केटरर्स(प्रो. आरती मीना), केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर

(Supplier)

4. श्री अमीत मितल(प्रो. नोरंग राय सुशील कुमार), स्वामी दयानंद मार्ग, श्रीगंगानगर
5. श्री नोरंग राय सुशील कुमार, स्वामी दयानंद मार्ग, पंचवटी धर्मशाला के पास, श्रीगंगानगर
6. श्री सुमीत गुप्ता(डायरेक्टर), होमफील मार्केटिंग प्र.लि., 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा
7. नर्मता गुप्ता(डायरेक्टर), होमफील मार्केटिंग प्र.लि. 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा
8. होमफील मार्केटिंग प्र.लि. 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा

अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार त्रिपाठी दिनांक 24.03.2023 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना फाइल नं.1(42)2011/रेलवे/एफ.एस.एस.ए.आई. दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्य क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना की छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.03.2023 को समय 12.30 बजे M/s Goldy Caterers(Prop. Aarti Meena) Catering Stall No.3, Platform No.1, Railway Station Sriganganagar पर श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, वेंडर यात्रियों को बिक्री करने के लिए खाद्य पदार्थ रखे हुए थे और बिक्री कर रहे थे। मैंने श्री राजवीर सिंह वेंडर को अपना परिचय दिया और परिचय पत्र दिखाया और उक्त Catering Stall No.3, Platform No.1, Railway

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Station Sriganganagar का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर Catering Stall No.3 पर Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) के बिकी के लिए रखा हुआ था और राजवीर सिंह द्वारा उक्त खाद्य सामग्री को विकय भी किया जा रहा था।

इस Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म वीए पर नोटिस तैयार किया, प्लेटफार्म नं.1 रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर पर मौजूद यात्रियों को गवाही के लिए बुलाया गया लेकिन कोई भी यात्री गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिससे मेरे साथ मौके पर मौजूद श्री विजय हटवाल, एचकेए, अधीन मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक लालगढ़ के हस्ताक्षर करवाए तथा एफबीओ राजवीर सिंह को दिया तथा 12 बोतल प्रत्येक 180 एमएल Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत एफबीओ राजवीर सिंह को 360/– रुपए मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर एफबीओ राजवीर सिंह के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाह श्री विजय हटवाल के हस्ताक्षर करवाए एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) चार बराबर हिस्सों (प्रत्येक में 3 बोतल) में बांट कर, लेबल तैयार कर प्रत्येक हिस्से पर चिपकाए और लेबलों पर डीओ के कोड और सीरियल नं. NWR-1049 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर एफबीओ राजवीर सिंह और गवाह श्री विजय हटवाल के हस्ताक्षर करवाए और स्वयं ने हस्ताक्षर किए, चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर चिपकाया और प्रत्येक भाग पर डीओ/एनडब्ल्यूआर/जयपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सिरीयल नं. एनडब्ल्यूआर–1049 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर चार–चार सील उपर, नीचे, दायें, बाएं तथा गांठ पर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफबीओ राजवीर सिंह और गवाह विजय हटवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाए कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आ जावे और स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर एफबीओ राजवीर सिंह और गवाह विजय हटवाल को पढ़कर, सुनाकर और समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसके एफबीओ राजवीर सिंह और गवाह विजय हटवाल ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान, बीकानेर को श्री मांगीलाल, ए.एम. खलासी अधीन सीएचआई लालगढ़ द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर मांगीलाल, एएम, खलासी अधीन सीएचआई लालगढ़ द्वारा खाद्य विश्लेषक राजस्थान, बीकानेर को जमा कराकर फार्म 6 पर रसीद प्राप्त की, शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की दो प्रतियां एवं नमूना भाग 6 प्रति मय फार्म 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर अभिहीत अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को विजय हटवाल, एचकेए, अधीन सीएचआई लालगढ़ द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./387/Act/2022/387 Dated 05-04-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **NWR-1049 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी एवं मंडल चिकित्सा अधिकारी(मुख्यालय), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रकरण में निम्नांकित अभियुक्तगणः–

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

1. श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, वेंडर केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर
2. आरती मीना, वेंडिग कोन्ट्रेक्टर, केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर
3. मै. गोल्डी केटरर्स(प्रो. आरती मीना), केटरिंग स्टॉल नं. 3, प्लेटफार्म नं. 1 रेलवे स्टेशन, श्रीगंगानगर

(Supplier)

4. श्री अमीत मितल(प्रो. नोरंग राय सुशील कुमार), स्वामी दयानंद मार्ग, श्रीगंगानगर
5. श्री नोरंग राय सुशील कुमार, स्वामी दयानंद मार्ग, पंचवटी धर्मशाला के पास, श्रीगंगानगर
6. श्री सुमीत गुप्ता(डायरेक्टर), होमफील मार्केटिंग प्र.लि., 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा
7. नर्मता गुप्ता(डायरेक्टर), होमफील मार्केटिंग प्र.लि. 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा
8. होमफील मार्केटिंग प्र.लि. 2 फलोर, डॉ. शारदा क्लीनिक के उपर, नामदेव नगर, बठिंडा

जिनके द्वारा अमानक स्तर Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/ 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 15.01.2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त की आरे से श्री नवनीत कटारिया ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि वाद पत्र के साथ आवदेक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तरणीय है। FSS Act 2006 के Section 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पालना नहीं की गई है, जिसके अंतर्गत सूचना का अधिकार द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2017 के द्वारा सूचना में बेस्ट बिफोर लिखा होने पर क्या मिसब्रांड की परिभाषा में आएगा के जवाब में स्पष्ट लिखा है कि "नही" आयेगा। FSS Authority द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2016 में Section 32 FSS Act के बारे में स्पष्ट लिखा गया है जिसकी पालना अभिहीत अधिकारी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता के पक्ष में नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 19.02.2015 एफएसी 255, 2017(1) में माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को क्वेस किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण बैअनवानी सरकार बनाम कुलदीप आवेदन सं. 24/2017 के पारित अपने निर्णय आदेश दिनांक 28.06.2019 में आवेदन पत्र विरूद्ध एफबीओ खारिज किया गया है। प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर विवि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है, प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघंन एफएसओ द्वारा किया गया है, जिसकी शास्ति/ जुर्माना एफएसओ पर विधिनुसार अधिरोपित की जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर

जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand) का सैम्पल **NWR-1049** जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./387/Act/2022/387 Dated 05-04-2023 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए बताया कि प्रस्तुत वाद गलत तथ्यों के आधार पर विवि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है, प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। उक्त परिवाद में अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 की पालना नहीं की गई है एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लघंन एफएसओ द्वारा किया गया है, जिसकी शास्ति/ जुर्माना एफएसओ पर विधिनुसार अधिरोपित की जाकर वाद सव्यय निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरूद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं एफएसएसए के तहत खाद्य नमूना में किसी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है जिससे किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Butter scotch Flavoured Milk (Prayag Brand)"** bearing Code No. and Sr. No. NWR-1049 of Designated Officer cum DMO/NWRHQ, Jawahar Circle Jaipur is **Misbranded Food** Under Section 3[1][zf][c][i] of FSS Act ,2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्तगण को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10000/- (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर